

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 113/2014/जोधपुर

मेसर्स दिनेश फ्रेगरेन्स,
गाँव मोगड़ा, तहसील-लूणी, जोधपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, सिरोही

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23/04/2018

निर्णय


1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 34/आरवैट/जेयूबी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2013 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा उक्त अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, सिरोही (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 में आरोपित शास्ति रुपये 5,71,644/- की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.10.2012 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे-19 जी.ए. 4397 की जांच की जाने पर वाहन में कर योग्य माल सुपारी, चूना, जर्दा आदि के कम्पाउण्ड जोधपुर से बीदर (कर्नाटक राज्य) स्थित अपीलार्थी की ब्रांच को घोषणा पत्र-एफ के समर्थन से ब्रांच ट्रांसफर किया जाना पाया गया, जिसके साथ में माल के दस्तावेजों के रूप में बिल्टी एवं स्टॉक ट्रांसफर के इनवाइस संख्या 1401 से 1405 प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें माल का स्टॉक ट्रांसफर किया जाना प्रदर्शित किया हुआ था। जांच अधिकारी द्वारा माल का स्टॉक ट्रांसफर होने से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिस आगे "वैट नियम" कहा जायेगा) के नियम 54 के अनुसार



निरन्तर.....2


घोषणा पत्र वैट 49 प्रस्तुत नहीं होने से अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 5,71,644/- आरोपित की गयी। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 05.12.2013 द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति की पुष्टि की गई। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समुख पेश की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा माल का स्टॉक ट्रांसफर अपीलार्थी फर्म की कर्नाटक राज्य स्थित ब्रांच में किया जा रहा था, जिसके लिए वांछित विधिसम्मत दस्तावेज बिल्टी, कर्नाटक राज्य का e-sugam Form एवं इनवॉइस आदि संलग्न थे। माल स्टॉक ट्रांसफर होने की स्थिति में उन्होंने जवाब के साथ दिनांक 25.10.2012 को फॉर्म वैट 49 प्रस्तुत कर दिया था। अतः ऐसी स्थिति में व्यवहारी की करावंचना की मंशा सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने आरोपित शास्ति को अनुचित बतलाते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल (2001) 1 टीयूडी पेज 113 (सुप्रीम कोर्ट) के आलोक में आरोपित शास्ति को अविधिक बतलाया एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को अपारस्त करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्था राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य माल परिवहन के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा पत्र वैट 49 उपलब्ध नहीं था, जिससे व्यवहारी की करावंचना की मंशा सिद्ध होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने विधिवत रूप से शास्ति का आरोपण किया है, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 459/2007/जोधपुर एसीटीओ बनाम सोनिया इलेक्ट्रिकल्स निर्णय दिनांक 25.02.2009 को उल्लिखित करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर योग्य माल जोधपुर से अपीलार्थी की बीदर (कर्नाटक राज्य) में स्थित शाखा को ब्रांच ट्रांसफर किया जा रहा था तथा माल के साथ यद्यपि अन्य वांछित दस्तावेज यथा बिल्टी एवं माल के इनवॉइस आदि के साथ-साथ कर्नाटक राज्य



का e-sugam Form भी उपलब्ध था, परन्तु वैट नियम 54 में यथानिर्दिष्ट फॉर्म वैट 49 माल के साथ में नहीं पाया गया था। यद्यपि व्यवहारी ने दिनांक 25.10.2012 को अपने प्रत्युत्तर के साथ में उक्त वांछित फॉर्म वैट 49 प्रस्तुत कर दिया था परन्तु सक्षम अधिकारी ने इसे अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया है। अभियोग पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन चैक किये जाने की तिथि 17.10.2012 को उक्त घोषणा पत्र अपीलार्थी के पास उपलब्ध ही नहीं था बल्कि इसे दिनांक 18.10.2012 को विभागीय कार्यालय से जारी करवाया जाकर प्रत्युत्तर के साथ में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। चूंकि परिवहनित माल की जांच के समय उक्त घोषणा पत्र अपीलार्थी के पास अस्तित्व में ही नहीं था तथा जिसे माल रोके जाने अगले दिन विभागीय कार्यालय से जारी करवाया गया है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया जाना तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

6. अपीलार्थी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान राज्य बनाम टी पी मेटल (2001) 1 टीगूटी पेज 112 (सुप्रीम कोर्ट) में यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी कारणवश परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो तो ऐसी दशा में व्यवहारी को प्राकृतिक न्याय के हित में अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जब जांच दिनांक को घोषणा पत्र अस्तित्व में ही नहीं था तो उसे किसी कारणवश पेश नहीं किये जा सकने का कोई कारक नहीं बनता है, लिहाजा उक्त न्याय दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में लागू किया जाना सम्भव नहीं है।
7. उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया शास्ति आरोपण विधि सम्मत पाये जाने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


 23.04.2018
 (ओमकार सिंह आशिया)
 सदस्य